भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1730
13.12.2023 को उत्तर देने के लिए

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

1730. श्री रवनीत सिंह:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार की 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश वाली बड़ी संख्या में अवसंरचना परियोजनाएं लागत में वृद्धि के कारण प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से पंजाब राज्य सहित तत्संबंधी राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं की लागत में इतनी भारी वृद्धि के विस्तृत कारण क्या हैं;

(घ) क्या परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनेक परियोजनाओं के लिए संशोधित लागत अनुमानों और चालू करने की समय-सारणी की जानकारी नहीं दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने इस संबंध में इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई उपाय किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा माह अक्तूबर, 2023 के लिए प्रकाशित नवीनतम फ्लैश रिपोर्ट के अनुसार, कुल 1788 परियोजनाओं में से 411 केन्द्रीय सेक्टर की

परियोजनाए लागत वृद्धि वाली है। इन परियोजनाओं के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे (पंजाब सहित) अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) लागत वृद्धि के कारण परियोजना विशिष्ट है और विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक कारकों पर निर्भर करते है तथा परियोजनावार अलग-अलग हैं। तथापि, जैसाकि मंत्रालय के आनलाइन कम्प्युटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पोर्टल पर परियोजना कार्यान्वयी एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किया जाता है; परियोजना की लागत में वृद्धि के प्रमुख कारण है: वास्तविक लागत को कम आंकना, विदेशी मुद्रा की दरों और वैधानिक शुल्कों में परिवर्तन पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय एवम् पुनर्वास उपायों की ऊंची लागतें, बढ़ती हुई भूमि अधिग्रहण लागतें, कुशल श्रमशक्ति/ श्रमिकों की कमी, परियोजना के दायरे में परिवर्तन; उपकरण सेवाओं के विक्रेताओं द्वारा एकाधिकार मूल्य निर्धारण, सामान्य मूल्य वृद्धि/ मुद्रास्फीति और समयावृद्धि।

जैसा कि कार्यान्वयी ऐजेसियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है भूमि अधिग्रहण में विलंब और वन संबंधी मंजूरी समयावृद्धि में प्रमुख कारक रहे है जिनकी वजह से लागत में वृद्धि होती है।

(घ) जी हाँ, कुल 134 केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाएं हैं जिनके लागत अनुमान संशोधित करने की आवश्यकता है। 290 परियोजनाओं के लिए ना तो आरंभ करने का वर्ष ना ही संभावित निर्माणपूर्ण अवधि सूचित की गई है। इन परियोजनाओं के ब्यौरें http://www.cspm.gov.in/english/publication पर उपलब्ध है।

(ङ) सरकार द्वारा लागत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम हैं: प्रगति (पीआरएजीएटीआई) के अन्तर्गत परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा; कठोर परियोजना मूल्यांकन; बेहतर निगरानी के लिए ओसीएमएस, मंत्रालयों में संशोधित लागत समितियों की स्थापना, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं की नियमित समीक्षा; और प्रमुख परियोजनानओं में आने वाली बाधाओं को हटाने और उनके त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित मुख्य सचिवों के अन्तर्गत राज्यों में केन्द्रीय सेक्टर परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसीएस) की स्थापना।

*****

अनुबंध

दिनांक 13/12/2023 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1730 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

सभी लागत करोड़ रुपये में हैं

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	वास्तविक लागत	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि (%)	सं.	वास्तविक लागत	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि (%)
1	आंध्र प्रदेश	97	1,33,439.34	1,89,980.07	42.37	29	57,723.40	1,14,661.17	98.64
2	अरुणाचल प्रदेश	28	49,473.75	64,435.96	30.24	1	6,285.33	21,247.54	238.05
3	असम	55	56,689.13	64,839.76	14.38	8	18,906.07	28,459.63	50.53
4	बिहार	93	1,13,905.20	1,37,601.82	20.80	31	38,975.70	63,746.16	63.55
5	गोवा	11	6,567.98	6,628.08	0.92	1	303.90	364.00	19.78
6	गुजरात	91	1,44,538.07	1,62,805.63	12.64	26	39,210.89	58,119.76	48.22
7	हरियाणा	33	68,389.49	70,677.32	3.35	6	7,370.41	9,658.28	31.04
8	हिमाचल प्रदेश	27	26,047.08	38,199.85	46.66	8	10,926.82	23,297.14	113.21
9	जम्मू और कश्मीर	45	67,258.12	1,02,275.02	52.06	3	4,997.72	40,014.62	700.66
10	कर्नाटक	77	99,671.14	1,03,636.57	3.98	19	14,407.05	19,868.07	37.91
11	केरल	31	63,259.81	70,594.48	11.59	13	28,840.42	36,933.69	28.06
12	मध्य प्रदेश	82	73,994.86	85,360.20	15.36	13	18,197.77	29,786.78	63.68
13	महाराष्ट्र	217	2,06,782.13	2,30,693.70	11.56	29	78,135.49	1,08,820.73	39.27
14	मणिपुर	32	14,557.83	24,425.66	67.78	1	4,454.17	14,322.00	221.54
15	मेघालय	14	5,372.73	12,735.93	137.05	1	906.46	8,324.28	818.33
16	मिजोरम	19	10,827.75	19,404.27	79.21	11	7,115.01	15,719.90	120.94
17	नगालैंड	34	12,139.03	16,489.44	35.84	2	2,699.59	7,050.00	161.15
18	ओडिशा	85	1,18,068.75	1,25,113.28	5.97	19	17,608.67	24,754.47	40.58
19	पंजाब	34	31,046.16	31,274.14	0.73	3	1,008.10	1,236.08	22.61
20	राजस्थान	73	82,119.63	87,299.34	6.31	3	13,624.08	18,978.32	39.30
21	सिक्किम	21	14,177.10	21,062.97	48.57	5	2,361.46	9,371.18	296.84
22	तमिलनाडु	74	2,12,065.17	2,34,918.06	10.78	30	51,023.60	75,187.00	47.36
23	त्रिपुरा	17	4,961.02	5,317.50	7.19	8	2,080.89	2,437.37	17.13
24	उत्तर प्रदेश	123	1,57,484.07	1,79,425.86	13.93	36	49,321.11	72,127.19	46.24
25	पश्चिम बंगाल	62	71,886.35	91,106.01	26.74	22	31,678.10	51,523.91	62.65
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	2,847.18	3,118.54	9.53	2	655.03	945.73	44.38
27	दिल्ली	29	93,102.83	97,504.84	4.73	10	51,768.05	56,257.49	8.67
28	पुदुचेरी	1	195.00	195.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
29	छत्तीसगढ	57	67,233.03	68,837.92	2.39	10	12,535.72	14,758.32	17.73
30	झारखंड	67	96,816.59	1,04,162.24	7.59	18	27,824.55	36,964.89	32.85
31	उत्तराखंड	30	36,188.46	54,008.18	49.24	7	25,172.12	42,991.84	70.79
32	तेलंगाना	46	32,326.07	35,213.70	8.93	7	13,264.18	16,151.81	21.77
33	लद्दाख	8	2,767.29	2,926.96	5.77	1	480.33	640.00	33.24
34	बहु राज्य	66	3,02,248.46	3,67,258.33	21.51	28	55,849.70	1,22,150.15	118.71
	कुल	**1788**	**24,78,446.60**	**29,09,526.63**	**17.39**	**411**	**6,95,711.89**	**11,46,869.50**	**64.85**